[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना सं. 26/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि....(अ).-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम में, चतुर्थ अनुसूची में, शीर्षक "खनिज उत्पाद" के अंतर्गत, अध्याय 27 में,-

(i) अनुपूरक टिप्पणियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पणियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

'अनुपूरक टिप्पणियां:

1. इस अध्याय में, भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक का अर्थ उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण से संदर्भित है।

उदाहरण: IS 1459 का तात्पर्य IS 1459: 2018 से है न कि IS 1459: 1974 से।

2. टैरिफ मद 2710 19 33 के प्रयोजनों के लिए, शब्द "मिश्रित विमानन टर्बाइन ईंधन" का अर्थ है कोई भी विमानन टर्बाइन ईंधन जिसमें पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिज से प्राप्त तेलों का वजन 70% या उससे अधिक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आईएस 17081:2019 के अनुरूप संश्लेषित हाइड्रोकार्बन के साथ मिश्रित हैं;';

(ii) सारणी में, उप-शीर्षक 2710 19 के अंतर्गत, टैरिफ मद 2710 19 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2710 19 33	- - - -	मिश्रित विमानन टरबाइन ईंधन	किलोग्राम	14%"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-110267/42/2024-सीएक्स-VIII अनुभाग-सीबीईसी]

(राजेश कुमार मीना)

अवर सचिव, भारत सरकार